सीकर कोर्ट एवं ... सेवा केन्द्र, सीकर [illegible] 19/3/16

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

रघुनाथ बनाम [illegible] सरकार

07/2021 प्रार्थना पत्र

दिनांक	कार्यवाही
1?/21	प्रार्थी अभिभाषक की सुनी बहस। [illegible] उपस्थित। रिपोर्ट राजस्व लिपिक प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करें। पत्रावली दिनांक 16/04/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
16/4/21	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/5/21 को पेश हों। प्रति. सं. 1 ता 7 की व प्रति. 8 की ओर से [illegible] अभिभाषक [illegible] हाजिर
12/5/21	पत्रा पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। [illegible] पेश करो। जवाब अप्रार्थी सं. 9 की [illegible] पत्रा दिनांक 30/5/21 को पेश हो। [illegible] आवेदन पेश किया [illegible] प्रति. 8 की ओर से 07 R 11 CPC का आवेदन पेश किया [illegible] सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
30/5/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/21 को पेश हों।
21/6/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/8/21 को पेश हों।
17/8/21	पत्रा पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील वादी की ओर से श्री पवन कुमार पारीक हाजिर। आवेदन 07 R 11 CPC के जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया गया। पत्रावली जवाब व बहस हेतु दिनांक 26/08/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

दिनांक

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
18-11-2024	पत्रावली वास्ते आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रकरण में बहस बकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। वरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय राज० उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर पेश की है :- Jagdish & othrs. v/s Prahalad & othrs. (100) S.B. Civil Writ Petition No. 5471 of 2016. वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र T.I. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र T.I. खारिज फरमाने का निवेदन किया एवं कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीर पेश की :- Bhandu v/s Bhoor ji RRD 1981 Page 525 न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड	

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

का अवलोकन किया गया एवं बहस उपरोक्त उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया तथा उभय पक्ष माननीय उच्चस्थ न्यायालयों की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

चूँकि विवादित आराजी ख० नं० 304 एवं 305 तन ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज०) के राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर उक्त विवादित आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधि०, 1955 के समय वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम पृथक-पृथक दर्ज होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। वकील अप्रार्थी का मूल रूप से यह अभिकथन है कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र T.I. कानूनन चलने योग्य नहीं है साथ ही विवादित आराजी के अप्रार्थी के पूर्वज सद्भावी क्रेता हैं एवं अप्रार्थी के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भरा गया है। प्रार्थी का प्रा० पत्र T.I. खारिज फरमाया जावे।

हस्तगत प्रा० पत्र T.I. में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर Jagdish & Ors. V/s Prahalad & Ors. RRD ... नजीर: चस्पा होती है। विवादित आराजी वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा काश्त है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है। कब्जा ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (प्रथम)
सीकर

दिनांक	आज्ञा-पत्र

तथ्य का निर्धारण बाद साक्ष्य गुणावगुण पर मूल वादपत्र में किया जाना है। अतः मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक विवादित आराजी के संबंध में विवादित पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता को रोकने के मद्देनजर तन ग्राम सबलपुरा तहसील खेड़ जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 521 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखने बाबत आवेदिका को तादौराने फैसल वाद पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
RAS
सहायक कलक्टर
द्वितीय (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर